मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::

क्रमांक: 756/643/2018/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक: 07/07/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
भोपाल।

विषयः–शासकीय कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा कराने में असमर्थता व्यक्त करना/इंकार किये जाने बाबत् ।

संदर्भः महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर का पत्र क0 ओ.ए.डी.(एम)/जा–18 दिनांक 14–05–2018 ।

–::000::–

महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा ग्वालियर द्वारा अवगत कराया गया है कि कतिपय कार्यालयों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लेखा परीक्षा न कराये जाने के कारण आगामी इकाईयों की लेखा परीक्षा में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे उन कार्यालयों एवं लेखा परीक्षा दलों को भी असुविधा होती है साथ ही आडिट प्लान की लक्ष्यपूर्ति नहीं हो पाती है । (पत्र की फोटो कापी संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि इस विषय में सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को दिशा निर्देश किये जाए कि लेखा परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रारंभ किया जाए, लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए जाए तथा लेखा परीक्षा दलों द्वारा जारी समस्त ज्ञापनों के उत्तर लेखा परीक्षा समाप्ति के एक दिन पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाएं ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

6/7/2018

(डॉ मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0क्रमांक: 757/643/2018/ब--1/चार, भोपाल, दिनांक: 07/07/2018

प्रतिलिपिः

1/ महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश, ग्वालियर – 474 002
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (G & SSA)
MADHYA PRADESH, GWALIOR - 474 002

सत्यमेव जयते

दिनांक / DATE : 14-05-2018

प्रति,

सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग,
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल–462004

मध्य प्रदेश
वित्त विभाग (नि-1)
पं.क्र....../आर.6513/चार/नि-1
दिनांक 15/05/2018

विषयः–शासकीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा कराने में असमर्थता व्यक्त करना/इंकार किए जाने बावत्।

संदर्भः–मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक एफ–2–1/2012 /नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 जून 2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र (फोटोकॉपी संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके अंतर्गत म.प्र. शासन के समस्त विभागों को निर्देशित किया गया था कि लेखापरीक्षा दल द्वारा सूचना प्राप्त होने पर ऑडिट कराने से इंकार न किया जाए। लेखापरीक्षा दल द्वारा जारी ज्ञापनों का उत्तर लेखापरीक्षा समाप्ति के एक दिन पूर्व दिया जाए। उक्त निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों के कार्यालयों द्वारा लेखापाल उपलब्ध न होने/कार्य की अधिकता/एवं अन्य कारण दर्शाते हुए असमर्थता व्यक्त की जाती है और लेखापरीक्षा आगे बढाने हेतु अनुरोध करते हुए इस कार्यालय द्वारा निर्धारित कार्यकम अनुसार लेखापरीक्षा नही कराई जाती है (सुलभ संदर्भ हेतु दिनांक 01.04.17 से 31.03.18 अवधि के बीच विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त 12 पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न है)।

इस संबंध में लेख है कि इस कार्यालय द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले विभागों की लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक ऑडिट प्लान तैयार किया जाता है जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा अनुमोदित होता है। ऑडिट प्लान में शामिल इकाईयों की लेखापरीक्षा के लिए त्रैमासिक दौरा कार्यक्रम अनुमोदित कर लेखापरीक्षा दलों को लेखापरीक्षा हेतु निर्देशित किया जाता है। कतिपय कार्यालयों द्वारा निर्धारित कार्यकम अनुसार लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण आगामी इकाईयों की लेखापरीक्षा में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे उन कार्यालयों एवं लेखापरीक्षा दलों को भी असुविधा होती है साथ ही लेखापरीक्षा का अनुमोदित वार्षिक ऑडिट प्लान की लक्ष्यपूर्ति नही हो पाती है।

ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर – 474 002
दूरभाषः 0751–2323504, 2323505, 2436827, फैक्स : 0751–2631290
AUDIT BHAWAN, JHANSI ROAD, GWALIOR-474002
Telephone : 0751-2323504, 2323505, 2436827, Fax : 0751-2631290
E-mail : agaumadhyapradesh1@cag.gov.in

कुछ कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए सम्पूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते है जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन में "अप्रस्तुत अभिलेख" की कण्डिका को शामिल करना पडता है जो कि गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है और लेखापरीक्षा का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं हो पाता है साथ ही कुछ कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान जारी ज्ञापनों के उत्तर समय पर नहीं दिए जाने के कारण लेखापरीक्षा अवधि बढाना पडती है जिससे कि आगामी इकाईयों की लेखापरीक्षा के निर्धारित दौरा कार्यक्रम में विचलन अपरिहार्य हो जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस सम्बंध में समस्त विभागों को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि लेखापरीक्षा हेतु सूचना प्राप्त होने पर कार्यालय प्रमुख लेखापरीक्षा कराने में असमर्थता व्यक्त न करें और लेखापरीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध करावें साथ ही लेखापरीक्षा दलों द्वारा जारी समस्त ज्ञापनों के उत्तर लेखापरीक्षा समाप्ति के एक दिन पूर्व आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जावे ताकि अनुमोदित दौरा कार्यक्रम में विचलन की स्थिति उत्पन्न न हो।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

Sd/-

उप महालेखाकार
सामाजिक क्षेत्र– द्वितीय